दुरभाष सं0–06222–257263
Email Id-sheohardso@gmail.com
Email Id-dm-sheohar.bih@nic.in

समाहरणालय, शिवहर

(जिला आपूर्ति प्रशाखा)

फैक्स नं0–06222–257288
जिला आपूर्ति पदा0 का नाम– श्री प्रमोद कुमार
मो0 नं0– 9430925441, 6287891544

सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु आम सूचना

सरकार के प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के ई0 पत्रांक–228263, दिनांक–11.04.2024 एवं विभागीय अधिसूचना दिनांक– 10.03.2016 तथा सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प– 963, दिनांक– 20.01.2016 तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–2342, दिनांक– 15.02.2016 के प्रावधान के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक–480 / आ0, दिनांक– 28.05.2025 द्वारा प्राप्त शिवहर जिलान्तर्गत जन वितरण प्रणाली की दुकानों की रिक्तियों पंचायतवार / कोटिवार निम्न प्रकार हैः–

क0	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	रिक्ति	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5
1	पुरनहिया	बखार चंडिहा	01	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
2		बसन्तपट्टी	01	अनारक्षित
3		दोस्तियाँ	01	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
		कुल	03	
4	पिपराही	बेलवा	01	पिछड़ा वर्ग
5		अम्बा उत्तरी	02	अनुसूचित जाति – 01 एवं अनारक्षित –01
6		मीनापुर बलहाँ	01	पिछड़ा वर्ग
7		धनकौल	02	अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 01 एवं अनारक्षित – 01
		कुल	06	
8	शिवहर	सुगिया कटसरी	01	अनारक्षित
9		माली पोखर भिण्डा	02	अनारक्षित – 01 एवं अनुसूचित जाति – 01
10		मथुरापुर कहतरवा	01	अनारक्षित
11		कुशहर	01	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
12		नगर परिषद, शिवहर	04	अनारक्षित – 03 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 01
		कुल	09	
13	डुमरी कटसरी	जहाँगीरपुर	01	अनुसूचित जाति
14		नयागाँव पूर्वी	02	अनारक्षित – 01 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 01
15		नयागाँव पश्चिमी	01	अनुसूचित जाति
16		रोहुआँ	01	अनारक्षित
		कुल	05	
17	तरियानी	सुरगाही	02	अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 02
18		बेलहिया	01	अनारक्षित
19		नरवारा	01	अनारक्षित
20		शरीफनगर	01	अनारक्षित
		कुल	05	

इस प्रकार 28 (अठाईस) जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्ति के विरूद्ध नई नियुक्ति हेतु संबंधित पंचायत के स्थायी निवासियों से शिवहर जिले के वेबसाईट पर ऑनलाईन Nic Form में आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है:–

आवेदन हेतु शर्त्तें निम्न प्रकार है:–

01. व्यक्ति विशेष से विहित प्रपत्र अनुसूची–01 में तथा स्वयं सहायता समूह/महिलाओं/ पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों के लिए विहित प्रपत्र अनुसूची–02 में आवेदन पत्र शिवहर जिले के वेबसाईट https://sheohar[redacted].nic.in पर दिनांक– 01.07.2025 से 15.07.2025 तक कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन–पत्र अधूरा या अपूर्ण रहने पर उक्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
02. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होना आवश्यक है। परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता एवं मेघा को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।
03. अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकता दी जायेगी:–
    (क) स्वयं सहायता समूह (ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ
    (ग) पूर्व सैनिको की सहयोग समितियाँ (घ) शिक्षित बेरोजगार
    (ङ) संबंधित पंचायत/वार्ड के निवासी
04. अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे एवं चयन पूर्णरूपेण मेघा के आधार पर होगा और उनकी स्थिति अनारक्षित होगी।
05. पिछड़े वर्ग की महिलाओं में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की महिलाएँ मानी जायेगी।
06. उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को उचित मूल्य की दुकान को उसके पोषण क्षेत्र में रखना होगा।
07. निम्नलिखित व्यक्तियों को दुकान आवंटित नहीं किया जायेगा:–
    (क) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।
    (ख) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।
    (ग) आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधी।
    (घ) अवयस्क, पागल या दिवालिया व्यक्ति।
    (ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामलें में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष व्यक्ति।
    (च) सरकार मे लाभ का पद धारण करने वाले व्यक्ति।
08. विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
09. जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबंधित माननीय न्यायालय में लम्बित मामलों में पारित अंतिम आदेश के आलोक में रिक्ति एवं कोटि में परिवर्तन हो सकता है। जिसके आलोक मे चयन समिति को आवेदन अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. प्रखंडवार/पंचायतवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षणवार रिक्तियों समाहरणालय शिवहर/अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर कार्यालय के सूचनापट्ट पर एवं शिवहर जिले की वेबसाईट Sheohar.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

नोटः–

- आवेदक आवेदन–पत्र में अपना रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खिंचा हुआ) अपलोड करना होगा एवं अपना मोबाईल संख्या आवेदन–पत्र में अंकित करना होगा।
- आवेदक को आवेदन–पत्र में पंचायत एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा। जिस पंचायत एवं आरक्षण श्रेणी के लिये आवेदन कर रहे है।
- शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण–पत्रों की स्व अभिप्रमाणित स्पष्ट छायाप्रति आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।
- आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।
- संबंधित पंचायत का निवासी होने के लाभ लेने के लिये अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण–पत्र स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।
- पुलिस अधीक्षक, शिवहर द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।
- एक से अधिक पंचायत के लिये आवेदन करने पर आवेदक के सभी आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।
- जिन पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियों अनुशंसित है, वहाँ अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपलब्ध न होने पर यह रिक्तियाँ अनुसूचित जाति के आवेदकों से भरी जायेगी और यदि अतयन्त पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे पिछड़े वर्ग के आवेदक एवं तद्नुसार इसके विपरित क्रम (Vice Versa) द्वारा भरा जायेगा।
- आवेदक इस आशय का स्वघोषणा देंगे कि उनके द्वारा आवेदन में प्रविष्टि की गई सभी सूचना सही है तथा गलत सूचना पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी।
- विज्ञापन से संबंधित सभी अधिकार, जिला पदाधिकारी, शिवहर की अध्यक्षता वाली कमिटी जिला चयन समिति के अधिन होगा। जिला पदाधिकारी, शिवहर विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिये सर्वाधिकार धारित करते है।
- इच्छुक आवेदक विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि से दिनांक– 15.07.2025 तक सभी शैक्षणिक योग्यात/ अन्य प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ जिला के वेबलिंक https://sheohar.[redacted].nic.in_ recruitment.......... पर कार्यालय अवधि में 05:00 बजे अपराह्न तक ऑनलाईन समर्पित करेंगे। प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं होने के स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टतया निरस्त कर दिया जायेगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात् वेब लिंक निष्क्रिय कर दिया जायेगा। आवेदन किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- ऑनलाईन समर्पित किये हुये आवेदन का प्रिंट आउट आवेदक अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
- आवेदक, विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाओं हेतु नियमित रूप से जिला के वेबसाईट https://sheohar. bih.nic.in का अवलोकन करते रहेंगे।

18/6/25

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
शिवहर।

18.6.2025

19/6/25

जिला पदाधिकरी,
शिवहर।